न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 71/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. मोडाराम पुत्र भबुतराम जाति रेबारी निवासी रेबारियों का झूंपा, सादडी, तहसील देसूरी 2. श्रीमती नेनूदेवी पत्नी मोडाराम जाति रेबारी निवासी रेबारियों का झूंपा, सादडी, तहसील देसूरी		1. भरतसिंह राजपुरोहित पुत्र प्रकाशसिंह जाति राजपुरोहित निवासी सालावतों का बास, नाडी पाल, मादा वाया सादडी तहसील देसूरी जिला पाली 2. सदीक खां पुत्र उमराव खां जाति मुसलमान निवासी छीपों का बास, चक्की वाली गली, सादड़ी तहसील देसूरी जिला पाली 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
श्री अशोक अरोड़ा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 15.11.2018

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 73/2012 भरतसिंह व अन्य बनाम मोडाराम व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2018 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 के तहत विभाजन एवं स्थायी व्यादेश हेतु वाद प्रस्तुत किया। उक्त पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण के जवाब हेतु नियत थी तथा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रतिवादीगण सहमत नहीं होने के बावजूद भी उनकी सहमति अंकित करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं दिया तथा बिना साक्ष्य संग्रहित किए एवं तनकीयात विनिश्चित किए बिना ही पक्षकारान् के सहमत नहीं होने के बावजूद भी लोक अदालत के तहत जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया था तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वाद का प्रतिकार किया था। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गई थी तथा प्रकरण शहादत वादी में नियत था, इस दरम्यान राजस्व लोक अदालत आयोजित होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 से मिलावट करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो किसी भी स्थिति में कायम रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए प्रकरण पुनः विधिक प्रक्रिया अनुसार सुनवाई करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील (सिविल) संख्या 4089/2006 स्टेट ऑफ पंजाब बनाम श्री गणपतराज में पारित निर्णय दिनांक 12.09.2006 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन एवं स्थायी व्यादेश हेतु वाद प्रस्तुत किया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त भूमि अपीलाण्ट के भाई से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के क्रय की थी। उक्त भूमि अपीलाण्ट द्वारा भी क्रय की गई है, यह भूमि पुश्तैनी नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मात्र जवाबदावा प्रस्तुत किया, किसी प्रकार का प्रतिदावा नहीं था। इस कारण विवाद बिन्दु कायम किए जाने आवश्यक ही नहीं थे। जैर अपील विवादित आराजी में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स को हक हिस्सा निहित है तथा उसी हक हिस्से के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाना था, इस हेतु जमाबन्दी सम्यक दस्तावेज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील में यह भी जाहिर नहीं किया कि जैर अपील निर्णय एवं डिक्री में अवैधता क्या है ? इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि जैर अपील विवादित आराजी में अपीलाण्ट्स तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की सह खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि का विधिक विभाजन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। जिसमें अपीलाण्ट द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया तथा वाद में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में कुल सात तनकीयात कायम की गई। इसके पश्चात प्रकरण शहादत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वादी में विचाराधीन रहा। इसके पश्चात राजस्व लोक अदालत आयोजित होने पर पत्रावली दिनांक 29.06.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान कैम्प सादड़ी में प्रस्तुत हुई, जिसमें अपीलाण्ट्स अनुपस्थित थे, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायलय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के कथनों को सत्य मानते हुए न्याय आपके द्वार अभियान में बिना साक्ष्य लिए एवं तनकीयात के विनिश्चिय किए बिना ही जैर अपील आदेश पारित कर दिया, जबकि न्याय आपके द्वारा अभियान में समस्त पक्षकार उपस्थित ही नहीं हुए थे। चूंकि हस्तगत निर्णय लोक अदालत में पारित किया गया है। इस सम्बन्ध में विधिक प्रश्न प्रकट होता है कि क्या पक्षकारान की अनुपस्थिति में एवं पक्षकारान् की सहमति के बिना लोक अदालत के माध्यम से पारित निर्णय विधि सम्मत है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006 (4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " Legal Services Authorities Act 1987, Section 20 - Power of disposal of cases by Lok Adalat - No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok Adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settlement". The former expression means settlement of differences by mutual concessions. It is an agreement reached by adjustment of conflicting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, 'compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who, to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element of accommodation on each side. It is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settlement" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat." इसी प्रकार एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण पूर्णतः प्रभावित होता है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना किए बिना ही लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारान में सहमति के बिना जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं होने के कारण समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 73/2012 भरतसिंह व अन्य बनाम मोडाराम व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.06.2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान कर, प्रकरण में कायम की गई तनकीयात पर उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 20 नियम 5 के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार पृथक पृथक विनिश्चय करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली